epaper
हिन्दुस्तान

राज्य सरकार पीपीपी मॉडल से हेलीपोर्ट बनवाएगी

20/04/2022

लखनऊ,विशेष संवाददाता। पीपीपी मोड से निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का निर्माण कराने से राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय व्यय भार में कमी आएगी। अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड व हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना पर अमल से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय क्षेत्रों का विकास भी होगा।

भागीरथी गेस्ट हाउस पर्यटन निगम को: हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस परिसर में ही में 3000 वर्ग मीटर पर बनाया गया भागीरथी गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांरित करने का निर्णय हुआ है। अलकनंदा गेस्ट हाउस को पहले ही उत्तराखंड को देने का निर्णय हो चुका है। पर्यटन विकास निगम अब दस 10 करोड़ रुपये तक के काम करेगा। उसे कार्यदायी संस्था के रूप में काम करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी।

नियमावली को मंजूरी: कैबिनेट ने लैब टेक्नीशियन के 25 फीसदी पद लैब असिस्टेंट की प्रोन्नति से भरे जाएंगे। बाकी के लिए सीधी भर्ती होगी। इसके लिए संबंधित नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

पुखरायां- घाटमपुर-बिंदकी मार्ग चार लेन का होगा: कैबिनेट ने 82.53 किलोमीटर लंबे पुखरायां- घाटमपुर-बिंदकी मार्ग को दो लेन से चार लेन में करने के लिए पीपीपी आधार काम कराने का निर्णय लिया है। इसमें 1136 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा। इस पर होने वाले लाभ का एक प्रतिशत राज्य सरकार को मिलेगा। यह मार्ग तीन जनपदों-कानपुर देहात, कानपुर नगर तथा फतेहपुर के औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरता है। वर्तमान में इस मार्ग पर व्यावसायिक वाहनों का आवागमन अधिक है। इसमें दो बड़े पुल, तीन रेल उपरिगामी पुल तथा घाटमपुर में 4.6 किमी लम्बाई का बाईपास बनाया जाना प्रस्तावित है।

ग्रेटर नोएडा में नि:शुल्क दी जाएगी जमीन: ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 56 एकड़ जमीन चाहिए थी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 414 करोड़ रुपये मांगे थे। अब यह भूमि निशुल्क दी जाएगी।

कैबिनेट का फैसला

यह निर्णय भी हुए

- गोपन विभाग में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर। प्रमाणित दस्तखत के लिए एक्ट में बदलाव किया गया है
- केजीएमयू में पुराने अधीक्षक आवास और सर्वेंट क्वाटर के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव भी पास
- होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर व उसके ऊपर अधिकारियों को पिस्टल देने के लिए विभाग 9 एमएम की 153 पिस्टल खरीदेगा

गन्ना विभाग के 9000 तौल लिपिकों को राहत

लखनऊ। कैबिनेट ने गन्ना विभाग के 9000 हजार तौल लिपिकों को राहत देते हुए उनके द्वारा जमा कराई जाने वाली धरोहर धनराशि 20 हजार रुपये से 10 हजार रुपये कर दी है। जबकि चीनी मिल के लिए धरोहर राशि 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये कर दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन नियमावली में बदलाव किया गया है। किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर यह धरोहर राशि जब्त हो जाएगी। दुबारा अनुमति मिलने पर फिर धरोहर राशि जमा करनी पड़ेगी।